01

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

फुलवा देवी बनाम् नागेश्वर रविदास वगै0

विविध वाद संख्या –90/2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. फुलवा देवी, पति – स्व0 रामअवतार रविदास,
साकिन – तिरला, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. नागेश्वर रविदास, पिता – स्व0 पेमा रविदास,
2. यशोदा देवी, पति – नागेश्वर दास,
3. सुरेन्द्र रविदास, पिता – नागेश्वर रविदास,
4. यशोदा देवी, पति – सुरेन्द्र रविदास,

सभी साकिन – तिरला, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
तिरला	01	2353	40 डी0	उ0– गली रास्ता, द0– कार्तिक रविदास, पु0– गणेश तुरी वगै0, प0– कार्तिक रविदास।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 12.06.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. पेमा चमार के नाम से ऑनलाईन बकाया लगान रसीद की छायाप्रति, कुल – 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. नजरिया नक्शा की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. फुलवा देवी के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**

23.08.2024

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 12.06.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वाइंट नं0 03 – यह कि विवादित जमीन :–

अंचल	मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
बगोदर	तिरला	बगोदर	249	01	2353	40 डी0
चौहदी	उ0 – गल्ली रास्ता			द0 – कार्तिक रविदास		
	पू0 – गणेश तुरी वगैरह			प0 – कार्तिक रविदास		

आवेदन का प्वाइंट नं0 04 – यह कि अंचल कार्यालय बगोदर के मांग पंजी II के भाग संख्या – 01 पेज नं0 – 319 पेमा चमार पिता – रामलाल चमार के नाम सं जमाबंदी कायम है तथा मालगुजारी रसीद साल – दर – साल निर्गत कराते चले आ रहे है।

AB 23.08.2024

आवेदन का प्वाइंट नं0 05 – यह कि वादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल – कब्जा बरकरार है परन्तु विपक्षी बल पूर्वक प्रथम पक्ष के दखल–कब्जे वाली भूमि से बेदखल करना चाहते है।

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 23.08.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. पेमा रविदास के नाम से ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 03 – यह कि उभय पक्ष दोनों एक ही खतियानधारी के वंशज है दोनों सगे भाई है, प्रथम पक्ष हमेशा लड़ाई – झगड़ा एवं झंझट करते रहते है।

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 04 – यह कि प्रथम पक्ष ने जो वाद आपके न्यायालय में लाये है वह विवादित जमीन मौजा – तिरला, थाना नं0 – 249, खाता नं0 – 01, प्लॉट नं0 – 2353, रकबा – 40 डी0 जिसका चौहदी

उ0 – गल्ली रास्ता	द0 – कार्तिक रविदास
पू0 – गणेश तुरी वगैरह	प0 – कार्तिक रविदास

यह जमीन भी किसी दुसरे जगह है और वाद जहाँ अबुवा आवास द्वितीय पक्ष बना रहे है वहाँ पर लायी है।

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 05 – यह कि उभय पक्षों के बीच में जमीन का बंटवारा हो चुका है और दोनों भाई अपने – अपने हिस्से में घर – मकान बनाये है और शांति पूर्वक निवास भी कर रहे है, बाकि जमीन का भी हिस्सा करके शांति पूर्वक जोत कोड़ करके शांति पूर्वक उभय पक्ष चले आ रहे है। द्वितीय पक्ष वर्त्तमान में अपने हक – हिस्से वाली जमीन पर अबुआ आवास जो आया है उसे बना रहे है। प्रथम पक्ष बाधा पहुँचानें जलन भवना से कि द्वितीय पक्ष का घर – मकान ना बने और परेशान रहे इसी बात को लेकर द्वितीय पक्ष के उपर वाद लाये है।

AB 23.08.2024

03

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक – 492, दिनांक – 20.06.2024, प्रतिवेदन सहित कुल – 03 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0 उ0 नि0 एवं प्र0 अं0 नि0 का प्रतिवेदन – कुल 01 पृष्ठ तथा ऑफलाईन पंजी II की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ) – **प्रदर्श C-1**

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
तिरला	01	2353	40 डी0	उ0– गली रास्ता, द0– कार्तिक रविदास, पु0– गणेश तुरी वगै0, प0– कार्तिक रविदास।

1. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 01 खतियान के अनुसार बकास्त खाता के अंतर्गत आता है।

2. उक्त विवादित भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 – 01 पेज नं0 319 में पेमा चमार, वल्द रामलाल चमार के नाम पर दर्ज है।

3. उभय पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज है, जो विवादित भूमि पर अपना – अपना दावा कर रहे है।

4. अंचल अधिकारी, बगोदर के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि द्वित्तीय पक्ष का दखल कब्जा है, जिस पर अबुआ आवास बनाया जा रहा है।(**प्रदर्श C-1**)

उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यह विवाद आपसी बंटवारा तथा हक – हकियत से संबंधित है, जिस पर निर्णय करना, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

23.08.2024

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.04 12:47:17 +05:30
Location: 192.168.250.238

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

23.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।